प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 21/2004

सीताराम (मृत) एवं अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 25-09-2012 को सूचीबद्ध करें ।

हस्ताक्षरित/-

आर. एस. शर्मा

न्यायाधीश

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 21/2004

अपीलार्थीगण: 1. सीताराम , पिता जंगी, उम्र लगभग 52 वर्ष, व्यवसाय मजदूर, निवासी ग्राम बेलटुकरी, थाना एवं तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

--मृत, उनकी अपील उपशमित

2.अघन बाई, पत्नी सीताराम , उम्र लगभग 55 वर्ष, व्यवसाय मजदूर, निवासी ग्राम बेलटुकरी, थाना एवं तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थित:

श्री बसंत कैवर्त्य, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता।

श्री संदीप यादव, राज्य/प्रत्यर्थी हेतु उप शासकीय अधिवक्ता।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दाण्डिक अपील

निर्णय

(25 सितंबर, 2012 को पारित)

1. यह अपील सत्र विचारण क्रमांक 351/2001 में चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-12-2003 के विरुद्ध प्रस्तुत है। आक्षेपित निर्णय द्वारा,

अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थीगण सीताराम और अघन बाई को निम्नलिखित प्रकार से दोषसिद्ध एवं दण्डित किया गया है:-

<u>दोषसिद्धि:</u>

भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन

<u>दंड:</u>

7 वर्ष का सश्रम कारावास और प्रत्येक को 1,000/- रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड के भुगतान में चूक होने पर 6 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, निम्नानुसार है:
मृतका श्रीमती संगीता का विवाह घटना की तिथि से लगभग 3 वर्ष पूर्व मृत अपीलार्थी सीताराम के पुत्र लक्ष्मी के साथ हुआ था और वह अपने पति के साथ अपने ससुराल में अपीलार्थीगण के साथ रह रही थी। उसकी मृत्यु बिलासपुर के शासकीय अस्पताल में जलने के कारण आई चोटों से हुई। अपीलार्थीगण उसे चरकट, वेश्या कहकर बुलाते थे और कहते थे कि वह कोई बच्चे को जन्म नहीं दे रही है, वे उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कह रहे थे। अपीलार्थीगण द्वारा दुर्व्यवहार और निरंतर प्रताड़ना के कारण, मृतका ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लिया। मृतका श्रीमती संगीता को शासकीय अस्पताल, बिलासपुर ले जाया गया। उसे अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती किया गया था। उपचार के दौरान दिनांक 2-6-2001 को लगभग 4:45 बजे मृतका की मृत्यु हो गई। डॉ. श्रीमती एस. जितपुरे ने मृतका की मृत्यु की सूचना थाना सिटी कोतवाली, बिलासपुर को प्र.पी.-8 के माध्यम से भेजी। थाना सिटी कोतवाली, बिलासपुर में मर्ग क्रमांक 33/2001 दर्ज किया गया था। विवेचना अधिकारी शासकीय अस्पताल, बिलासपुर पहुँचे, पंचों को सूचना (प्र.पी.-1) दिया और मृतका के शव की मृत्युसमीक्षा (प्र.पी.-9) तैयार की। मृतका के शव को परीक्षण के लिए शासकीय अस्पताल, बिलासपुर भेजा गया था। डॉ. वी.आर. होतचंदानी (अ.सा.-4) ने डॉ. श्रीमती एम. पाण्डेय के साथ मृतका के शव का परीक्षण किया। उन्होंने अपनी प्रतिवेदन (प्र.पी.-7) दी। उन्होंने यह अभिमत व्यक्त किया कि मृतका की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व जलने की चोटों के कारण रक्त विषाक्तता था।

आगे की विवेचना में, अपीलार्थी सीताराम का साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत मेमोरेंडम कथन (प्र.पी.-4) दर्ज किया गया और उसके बताने पर एक 'गोदडी' (गद्दा) और एक प्लास्टिक का डिब्बा प्र.पी.-5 के माध्यम से जब्त किया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा घटना स्थल का नक्शा (प्र.पी.-6) तैयार किया गया। घटना स्थल से साड़ी, ब्लाउज और अंतःवस्त्र प्र.पी.-3 के माध्यम से और एक 'गोदडी' प्र.पी.-5 के माध्यम से जब्त की गई। थाना मस्तूरी में नियमित प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-13) दर्ज की गई थी। जप्त की गई वस्तुओं को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर प्र.पी.-14 के माध्यम से भेजा गया। वहाँ से प्रतिवेदन (प्र.पी.-15) प्राप्त हुई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर के न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को उपार्पित कर दिया, जहाँ से यह अंतरण पर चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण का संचालन किया और अपीलार्थीगण को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया।

3. अपीलार्थी सीताराम की मृत्यु अपील के लंबित रहने के दौरान दिनांक 08.09.2006 को हो गई और इसलिए, उसकी अपील उपशमनित हो गई है।

4. अपीलार्थी अघन बाई के विद्वान अधिवक्ता श्री बसंत कैवर्त्य ने तर्क प्रस्तुत किया कि रामरतन (अ.सा.-1) मृतका के पिता हैं और गणेशिया (अ.सा.-3) मृतका की माता हैं। वे अत्यधिक हितबद्ध साक्षी हैं। स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि मृतका को अपीलार्थीगण द्वारा क्रूरता या प्रताड़ना का शिकार बनाया गया था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते हैं। अभियोजन ने यह स्थापित नहीं किया है कि मृतका की मृत्यु से पूर्व उसे अपीलार्थीगण द्वारा क्रूरता या प्रताड़ना का शिकार बनाया गया था। इस संबंध में साक्ष्य अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध करने के लिए पूर्णतः अपर्याप्त है। अभियोजन ने रामरतन (अ.सा.-1) के समक्ष दिए गए मृतका के मौखिक मृत्यु कालिक कथन का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जो पूरी तरह से अविश्वसनीय है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एस.एस. दुबे (ब.सा..-2) ने उपचार करने वाले डॉ. रजनीकांत वर्मा (ब.सा..-1) से प्रमाणीकरण प्राप्त करने के बाद मृतका का मृत्यु कालिक कथन (प्रदर्श डी.-1) अभिलिखित किया था। मृत्यु कालिक कथन (प्रदर्श डी.-1) से पता चलता है कि मृतका की मृत्यु आकस्मिक थी। अतः, अपीलार्थी अघन बाई उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त होने की पात्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दूसरी ओर, राज्य/प्रत्यर्थी के विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री संदीप यादव ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप न करने का निवेदन किया।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और सत्र विचारण प्रकरण क्रमांक 351/2001 के अभिलेख का भी परीशीलन किया है। अपीलार्थी अघन बाई की दोषसिद्धि रामरतन (अ.सा.-1) और गणेशिया (अ.सा.-3) के साक्ष्य पर आधारित है।

7. यह निर्विवाद है कि मृतका का विवाह घटना की तिथि से 3 वर्ष पूर्व मृतक अपीलार्थी सीताराम के पुत्र लक्ष्मी प्रसाद के साथ हुआ था। यह भी निर्विवाद है कि मृतका की मृत्यु

दिनांक 02.06.2001 को हुई थी, अर्थात उसके विवाह के 7 वर्षों के भीतर और उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से इतर अन्य स्थितियों में हुई थी।

8. रामरतन (अ.सा.-1) और गणेशिया (अ.सा.-3) ने यह कथन दिया कि जब उनकी पुत्री (मृतका) अपने ससुराल से वापस आई, तो उसने उन्हें बताया कि उसके ससुर और उसके ससुर की बहन उसे यह कहकर क्रूरता का शिकार बना रहे थे कि वह किसी बच्चे को जन्म नहीं दे रही है और उसे चरकट और वेश्या पुकारते थे. उन्होंने आगे यह कथन दिया कि उनके गाँव के एक निवासी ने उन्हें बताया कि मृतका को जली हुई अवस्था में धरम (शासकीय) अस्पताल, बिलासपुर में भर्ती कराया गया है। वे अस्पताल पहुँचे। मृतका को अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती किया गया था।

9. रामरतन (अ.सा.-1) ने कथन दिया कि मृतका ने उसे बताया था कि अपीलार्थीगण उसके साथ 'मारपीट' कर रहे थे और उसे यह कहकर ताना मार रहे थे कि वह चरकट और वेश्या है और उसका चेहरा देखना पाप है। मुख्य परीक्षण के कंडिका 6 से 11 में, उसने मृतका द्वारा उसके समक्ष किए गए मौखिक मृत्यु कालिक कथन के संबंध में कथन दिया। कंडिका 11 में, उसने कथन किया कि अपीलार्थी सीताराम ने मृतका से खुद को फांसी लगाने के लिए कहा था। अपीलार्थी सीताराम ने मृतका से आगे कहा कि वह मिट्टी का तेल ले आया है, उसे अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लेना चाहिए और खुद को आग लगा लेनी चाहिए। अतः, मृतका की मृत्यु स्वयं पर मिट्टी का तेल डालने और आग लगाने के कारण हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अब, मैं इस बात का परीक्षण करूँगा कि क्या मृतका द्वारा दिए गए मौखिक मृत्यु कालिक कथन के संबंध में रामरतन (अ.सा.-1) का कथन विश्वसनीय है और क्या इसे दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है।

11. **अमर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 2010 एससी 3391** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अवलोकन किया:
"23. ..... अभियोजन पक्ष का वह साक्षी जो केवल "उत्पीड़न" या "यातना" शब्द का उपयोग करता है और अभियुक्त के उस सटीक आचरण का वर्णन नहीं करता है, जो उसके अनुसार, धारा 498-क और 304-ख भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामलों में न्यायालय द्वारा उत्पीड़न या यातना की श्रेणी में आता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसी कारण से, उच्च न्यायालय ने यह विचार अपनाया है कि जगदीश और गोर्धनी के विरुद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हुए हैं और उनका मामला अमर सिंह के मामले से भिन्न है तथा जगदीश और गोर्धनी को इसलिए संलिप्त किया गया प्रतीत होता है क्योंकि वे अमर सिंह के परिवार के सदस्य थे।"

12. **गुरबचन सिंह बनाम सतपाल सिंह एवं अन्य, (1990) 1 एससीसी 445** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

"**34**. इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-क के प्रावधानों का उल्लेख करना भी सुविधाजनक है जो यह प्रावधान करते हैं कि:

113-क. विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में अनुमान। --जब प्रश्न यह हो कि क्या किसी महिला द्वारा आत्महत्या करने के लिए उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने उकसाया था और यह सिद्ध हो जाता है कि उसने अपनी शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार ने उसके साथ क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगा सकता है कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार द्वारा उकसाई गई थी।

36. अभियुक्त-प्रत्यर्थीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क को अधिनियम 46 वर्ष 1983 द्वारा सांविधिक पुस्तक में शामिल किया गया था, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत अपराध 23 जून, 1983 को किया गया था, अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उक्त प्रावधान के शामिल किए जाने से पूर्व। इसलिए, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध विवाहित स्त्री द्वारा की गई आत्महत्या के दुष्प्रेरण के संबंध में उपधारणा के निष्कर्ष पर पहुँचते समय इस धारा के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. उक्त धारा के प्रावधान कोई नया अपराध सृजित नहीं करते हैं और इस रूप में यह किसी मौलिक अधिकार का सृजन नहीं करते हैं, बल्कि यह केवल साक्ष्य की प्रक्रिया का मामला है और इस प्रकार यह भूतलक्षी है और इस मामले पर लागू होगा। इस संबंध में **हेल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चतुर्थ संस्करण, खंड 44, पृष्ठ 570** का संदर्भ लेना लाभप्रद है जिसमें यह कहा गया है कि:

'सामान्य नियम यह है कि वे सभी कानून, जो केवल घोषणात्मक हैं या जो केवल प्रक्रिया या साक्ष्य के मामलों से संबंधित हैं, प्रथम दृष्टया भविष्यलक्षी होते हैं, और उन्हें भूतलक्षी प्रभाव तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि स्पष्ट शब्दों या आवश्यक निहितार्थ से यह प्रतीत न हो कि विधायिका का आशय यही था.....'

38. हेल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड के उसी खंड के पृष्ठ 574 पर यह भी कहा गया है कि:

'भूतलक्षी प्रभाव के विरुद्ध उपधारणा केवल प्रक्रिया या साक्ष्य के मामलों से संबंधित कानून पर लागू नहीं होती है; इसके विपरीत, उस प्रकृति के प्रावधानों को भूतलक्षी माना जाना चाहिए जब तक कि ऐसा कोई स्पष्ट संकेत न हो कि संसद का ऐसा आशय नहीं था।' "

13. **एम. मोहन बनाम राज्य, पुलिस उप अधीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व, एआईआर 2011 एससी 1238** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

"**40**. "धारा 107 के अंतर्गत 'किसी बात के दुष्प्रेरण' को परिभाषित किया गया है" हम धारा 107 को पुनरुत्पादित करना उचित समझते हैं, जो इस प्रकार है:

'107. दुष्प्रेरण की परिभाषा-

कोई व्यक्ति किसी कार्य के किए जाने के लिए दुष्प्रेरित करता है, यदि वह—

प्रथम—किसी व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए उकसाता (प्रेरित करता) है; या

द्वितीय—एक या अधिक व्यक्तियों के साथ उस कार्य के किए जाने के लिए षड्यंत्र करता है, और उस षड्यंत्र के अनुसरण में तथा उस कार्य के किए जाने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप किया जाता है; या

तृतीय—किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा उस कार्य के किए जाने में जानबूझकर सहायता करता है। धारा 107 के साथ जोड़ा गया स्पष्टीकरण 2 निम्नवत् है:

स्पष्टीकरण 2—जो कोई, किसी कार्य के किए जाने के समय या उससे पहले, उस कार्य को करने में सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ करता है, और इस प्रकार उस कार्य के किए जाने में सहायता करता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता हुआ समझा जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय **रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एससीसी 618 :(एआईआर 2001 एससी 3837)** का भी अवलंब लिया, जिसमें इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को इसी तरह की प्रकृति के मामले पर विचार करने का अवसर मिला था। पति और पत्नी के बीच विवाद में, अपीलार्थी-पति ने कहा था कि 'तुम जो चाहो करने के लिए स्वतंत्र हो और जहाँ चाहो चली जाओ'। इसके बाद, अपीलार्थी रमेश कुमार की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इस न्यायालय ने कंडिका 20 में 'उकसावे' के अर्थ के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण किया है। कंडिका 20 इस प्रकार है:

'20. उकसावा किसी 'कार्य' को करने के लिए प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, भड़काना, उत्तेजित करना या प्रोत्साहित करना है। उकसावे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि उस प्रभाव के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए, या उकसावा क्या होता है यह आवश्यक रूप से और विशिष्ट रूप से परिणाम का सूचक होना चाहिए। फिर भी उकसाने के लिए एक उचित निश्चितता स्पष्ट होनी चाहिए। वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहाँ अभियुक्त ने अपने कार्यों या लोप द्वारा या आचरण के निरंतर क्रम से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की थीं कि मृतका के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, जिस स्थिति में उकसावे का अनुमान लगाया जा सकता था। क्रोध या भावना के आवेश में बिना यह सोचे कि उसके परिणाम वास्तव में घटित होंगे, कहे गए शब्द को उकसावा नहीं कहा जा सकता।'

42. उक्त मामले में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य और सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा सीमा (अपीलार्थी की पत्नी) को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का अनिवार्य रूप से निष्कर्ष निकाला जा सके।

43. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरिलाल जायसवाल एवं अन्य (1994) 1 एससीसी 73 : (एआईआर 1994 एससी 1418) में, इस न्यायालय ने सतर्क किया है कि न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का आकलन करने में और विचारण में प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन करने में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि पीड़ित के साथ की गई क्रूरता ने वास्तव में उसे आत्महत्या कर अपना जीवन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था। यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि आत्महत्या करने वाली पीड़िता साधारण चिड़चिड़ेपन, कलह और घरेलू मतभेदों के प्रति अति-संवेदनशील थी, जो उस समाज में काफी सामान्य हैं जिससे पीड़िता संबंधित थी, और ऐसे चिड़चिड़ेपन, कलह और मतभेदों से उसी समाज के किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, तो न्यायालय के अंतःकरण को इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि आत्महत्या के अपराध के दुष्प्रेरण का आरोपित अभियुक्त दोषी पाया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

44. इस न्यायालय ने **चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), 2009 (16) एससीसी 605** में, दुष्प्रेरण के इस पहलू पर विचार किया था। न्यायालय ने "उकसाना" और "भड़काना" शब्दों के शब्दकोशीय अर्थों पर विचार किया। न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने के लिए उकसाने, भड़काने या प्रोत्साहित करने का आशय होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की आत्महत्या करने की प्रवृत्ति का स्वरूप दूसरों से भिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति की आत्म-सम्मान और स्वाभिमान की अपनी धारणा होती है। अतः, ऐसे मामलों से निपटने में कोई भी एक अनम्य सूत्र तय करना असंभव है। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

45. दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को उकसाने या किसी कार्य को करने में जानबूझकर सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया शामिल होती है। आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के अभियुक्त की ओर से किसी सकारात्मक कार्य के बिना, दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

46. विधायिका की मंशा और इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों का अनुपात स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषी ठहराने के लिए अपराध कारित करने का स्पष्ट आपराधिक मनः स्थिति होना चाहिए। इसमें एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की भी आवश्यकता होती है जिसके कारण मृतका ने आत्महत्या की हो, जहाँ

उसे कोई अन्य विकल्प न दिख रहा हो और यह कार्य मृतका को ऐसी स्थिति में धकेलने के आशय से किया गया हो कि उसने आत्महत्या कर ली हो।"

14. **चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), (2009) 16 एससीसी 605** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

"19. जैसा कि **रमेश कुमार, (2001) 9 एससीसी 618** में यह पाया गया है कि जहाँ अभियुक्त अपने कार्यों से या आचरण के निरंतर क्रम से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है कि मृतका के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है, वहाँ 'उकसावे' का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह सिद्ध करने के लिए कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने का दुष्प्रेरण किया है, यह स्थापित किया जाना आवश्यक है कि:

(i) अभियुक्त ने शब्दों, कार्यों या जानबूझकर किए गए लोप या आचरण द्वारा मृतका को चिढ़ाना या परेशान करना जारी रखा, जो कि एक जानबूझकर रखी गई चुप्पी भी हो सकती है, जब तक कि मृतका ने प्रतिक्रिया न दी हो या वह अपने कार्यों, शब्दों या जानबूझकर किए गए लोप या आचरण द्वारा मृतका को एक निश्चित दिशा में और अधिक तेजी से बढ़ने के लिए मजबूर न कर दिया हो; और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) अभियुक्त का आशय उपरोक्त रीति से कार्य करते हुए मृतका को आत्महत्या करने के लिए उकसाने, प्रेरित करने या प्रोत्साहित करने का था। निस्संदेह, आपराधिक मनः स्थिति

(iii) की उपस्थिति उकसावे का एक अनिवार्य सहगामी तत्व है।"

15. **संजू उर्फ संजय सिंह सेंगर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2002) 5 एससीसी 371** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

"**12.** ..... यदि हम अभियोजन पक्ष के इस कथन को स्वीकार भी कर लें कि अपीलार्थी ने वास्तव में मृतका से "जाओ और मर जाओ" कहा था, तो यह स्वतः ही 'उकसावे' का घटक नहीं बन जाता है। शब्द 'उकसावा' किसी को कुछ कठोर या अनुचित कार्य करने के लिए उकसाने या आग्रह करने या उत्तेजित करने अथवा प्रेरित करने का संकेत देता है। अतः, 'आपराधिक मनः स्थिति ' की उपस्थिति उकसावे का आवश्यक सहगामी तत्व है। यह सर्वविदित है कि झगड़े के दौरान या आवेश में कहे गए शब्दों को 'आपराधिक मनः स्थिति 'के साथ कहा गया नहीं माना जा सकता। यह क्रोध और भावना के आवेश में होता है। दूसरे, मृतका से कहे गए कथित अपमानजनक शब्द दिनांक 25-7-1998 को हुए झगड़े के परिणामस्वरूप थे। मृतक दिनांक 27-7-1998 को लटका हुआ पाया गया था। यह मानते हुए

कि मृतक ने अपमानजनक भाषा को गंभीरता से लिया था, उसके पास बीच के समय में सोचने और विचार करने के लिए पर्याप्त समय था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25-7-1998 को उपयोग की गई अपमानजनक भाषा ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। मृतक द्वारा दिनांक 27-7-1998 को की गई आत्महत्या, अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25-7-1998 को कहे गए अपमानजनक शब्दों के समीपस्थ नहीं है। यह तथ्य कि मृतक ने दिनांक 27-7-1998 को आत्महत्या की, स्वतः ही यह स्पष्ट करता है कि यह उस झगड़े का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है जो दिनांक 25-7-1998 को हुआ था, जब यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था और मृतक को जाकर मरने के लिए भी कहा था। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालयों के संज्ञान से छूट गया था।"

16. गणेशिया (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि यह सत्य है कि मृतका ने उसे अपने जलने के संबंध में कुछ नहीं बताया था। उसने आगे यह भी स्वीकार किया कि यह सत्य है कि उसने वही कथन दिया जो उसके पति रामरतन (अ.सा.-1) द्वारा उसे बताया गया था। यदि मृतका ने वास्तव में मौखिक मृत्यु कालिक कथन किया होता, तो वह उसकी माता गणेशिया (अ.सा.-3) के समक्ष भी किया गया होता, किंतु गणेशिया (अ.सा.-3) के कथन से ऐसा प्रतिबिंबित नहीं होता है, अतः, मृतका द्वारा मौखिक मृत्यु कालिक कथन किया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. रामरतन (अ.सा.-1) ने कथन दिया कि जब मृतका को शासकीय अस्पताल, बिलासपुर में भर्ती कराया गया था, तब उनके गाँव की एक महिला निवासी भी वहाँ भर्ती थी। उसने आगे कथन दिया कि उनके गाँव की उक्त महिला ने उसे बताया कि उसकी पुत्री (मृतका) ने, अपीलार्थीगण द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण, स्वयं पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा ली तथा उसे जली हुई अवस्था में शासकीय अस्पताल, बिलासपुर में भर्ती कराया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतका ने घटना के बारे में सबसे पहले उस महिला को बताया और तत्पश्चात उस महिला ने घटना के बारे में रामरतन (अ.सा.-1) को बताया, किंतु रामरतन (अ.सा.-1) ने उस महिला के नाम का खुलासा नहीं किया और न ही अभियोजन ने उसका परीक्षण कराया है, जो कि अभियोजन के लिए एक महत्वपूर्ण साक्षी थी। उक्त महिला के नाम का खुलासा न करना और अभियोजन द्वारा उसका परीक्षण न कराया जाना अभियोजन के मामले के लिए घातक है।

18. कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/नायब तहसीलदार एस.एस.दुबे (ब.सा..-2) ने साक्ष्य दिया कि उन्होंने दिनांक 31-5-2001 को शासकीय अस्पताल, बिलासपुर में मृतका का मृत्युपूर्व कथन दर्ज किया था। उन्होंने आगे कथन दिया कि मृत्यु कालिक कथन अभिलिखित करने से पूर्व, उसने मृतका के स्वास्थ्य और मृत्यु कालिक कथन करने की मानसिक स्थिति के संबंध में उपचार करने वाले डॉ. रजनीकांत वर्मा (ब.सा..-1) से प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। डॉ.

रजनीकांत वर्मा (ब.सा..-1) ने कथन दिया कि दिनांक 31-5-2001 को, मृतका को शासकीय अस्पताल, बिलासपुर के बर्न यूनिट में भर्ती किया गया था। उन्होंने आगे कथन किया कि दोपहर लगभग 12:50 बजे, मृतका का परीक्षण करने के बाद, उन्होंने प्र.डी.-1 में प्रमाण पत्र दिया कि मृतका मृत्यु कालिक कथन करने हेतु स्वस्थ थी। उन्होंने आगे कथन किया कि मृत्यु कालिक कथन लगभग 10 मिनट तक अभिलिखित किया गया था। उसके पश्चात, उन्होंने पुनः प्र.डी.-1 में मृतका की मानसिक स्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र दिया।

19. एस.एस.दुबे (ब.सा..-2) ने कथन दिया कि मृतका ने उसे बताया था कि खाना पकाने के लिए आग जलाते समय उसके कपड़ों में आग लग गई थी। प्र.डी.-1 में इसका उल्लेख निम्नानुसार है:

"घटना कैसे घटी – मैं खाना पकाने के लिये आग जला रही थी, आग जलाते समय आग ने मेरे कपड़े को पकड़ लिया जिसके कारण मैं जल गई।

कब घटना घटी – कल दिनांक 30/5/2001, 10 बजे दिन में।

कौन-कौन थे घर में – घर में उस समय कोई नहीं था। मैं अकेली थी। जलने के बाद मेरा आवाज सुनकर पड़ोसी आये।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. माधव चंद्राकर (अ.सा.-7) और लक्ष्मण (अ.सा.-5) ने कथन दिया कि वे मृतका के घर गए थे। उन्होंने देखा कि मृतका जली हुई अवस्था में पड़ी थी। उससे पूछने पर, उसने उन्हें बताया कि खाना पकाने के लिए आग जलाते समय उसके कपड़ों में आग लग गई थी।

21. रामरतन (अ.सा.-1) के केस-डायरी कथन (प्र.डी.-2) में यह उल्लेख है कि मृतका का मृत्यु कालिक कथन एक अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था। प्र.डी.-2 को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतका का मृत्यु कालिक कथन दर्ज किया गया था। अतः, एस.एस.दुबे (ब.सा..-2) का कथन प्र.डी.-2 से संपोषित होता है और लक्ष्मण (अ.सा.-5) तथा माधव चंद्राकर (अ.सा.-7) के कथन से भी इसकी पुष्टि होती है। इसलिए, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/नायब तहसीलदार एस.एस.दुबे (ब.सा..-2) द्वारा अभिलिखित किया गया मृत्यु कालिक कथन विश्वसनीय है और मृत्यु कालिक कथन (प्र.डी.-1) तथा लक्ष्मण (अ.सा.-5), माधव चंद्राकर (अ.सा.-7), डॉ. रजनीकांत वर्मा (ब.सा..-1) के कथन को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मृतका की मृत्यु आकस्मिक थी। अतः, मेरा यह मत है कि अभियोजन पक्ष निर्णायक साक्ष्यों के साथ यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है कि अपीलार्थी अघन बाई ने मृतका को क्रूरता या प्रताड़ना का शिकार बनाया था और उसने मृतका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित या उकसाया था और जिसके परिणामस्वरूप मृतका ने आत्महत्या की।

22. उपरोक्त विवेचना और परिस्थितियों से, मैं पाता हूँ कि रामरतन (अ.सा.-1) और गणेशिया (अ.सा.-3) के कथन विश्वसनीय और ठोस नहीं हैं। अतः, भारतीय दंड संहिता की

धारा 306 के अंतर्गत अपीलार्थी अघन बाई की दोषसिद्धि उनके साक्ष्य के आधार पर आधारित नहीं की जा सकती। अभियोजन पक्ष उपरोक्त कारणों से अपीलार्थी अघन बाई के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है। आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

23. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत अपीलार्थी अघन बाई की दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है और उसे उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। यह सूचित किया गया है कि अपीलार्थी अघन बाई जेल में है। किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो, उसे अविलंब मुक्त किया जावे।

हस्ताक्षरित/-

आर. एस. शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Ritu Sarna Gandhi (Adv.)